# बाल-विवाह का कलंक मिटाएं

रेनुका पामेचा

आखा तीज (5 मई, '92) को राजस्थान में हर साल की तरह शादियों की धूम रही। छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियां ब्याह के बंधन में बांध दिए गए। यह ब्याह उनके लिए क्या मायने रखता है? क्या इन बच्चों को अधिकार नहीं है कि वे बड़े होकर अपने हिसाब से कुछ फैसले करें। पढ़ें, लिखें, दुनिया को अपनी समझ से देखें। हम उनसे उनके सपने देखने तक का अधिकार छीनना चाहते हैं।

बाल-विवाह ग़ैर कानूनी तो है ही यह मानवता और देश के प्रति भी एक जुर्म है। ब्याह को सिर्फ खर्चे से जोड़ना और लड़की को सिर्फ एक जिम्मेदारी, बोझ समझना गलत है। यह भी सोचना गलत है कि शादी का ठप्पा लगने के बाद लड़की सुरक्षित हो जाती है।

यह कहना काफी नहीं है कि शादी के बाद गौना बड़ी उम्र में किया जाता है। विवाह के बाद लड़की की पढ़ाई बंद हो जाती है।

गौना 14-15 साल की उम्र में कर दिया जाता है, ज्यादातर माहवारी शुरू होने के जल्दी ही बाद। लेकिन वह भी कच्ची उम्र है। लड़कियां छोटी उम्र में मां बन जाती हैं। यह जच्चा-बच्चा दोनों की सेहत के लिए खतरनाक है।

लड़का पढ़-लिख कर आगे बढ़ जाता है और वह अनपढ़ पत्नी को छोड़ देता है। यदि किसी कारण पति की मौत हो जाए तो बेचारी लड़की बिना किसी अपराध के विधवा का जीवन बिताती है। यही नहीं, कभी-कभी ससुराल वाले ही उससे

नाजायज यौन-संबंध बना लेते हैं। जब बात खुलती है तो खुद तो कोई जिम्मेदारी लेते नहीं, बेचारी लड़की ही बदनाम होती है। बदनाम क्या, उसकी तो जिंदगी ही तबाह हो जाती है।

समय ने करवट ली है। हमारी सोच में कुछ बदलाव आया है। हमको आज संकल्प लेने की ज़रूरत है कि:

हम लड़के व लड़की में भेद नहीं करेंगे।

दोनों को पढ़ा-लिखा कर उनकी सोच बनने का मौका देंगे।

उनके बालिग, शिक्षित, समझदार व अपने पैरों पर खड़ा हो जाने के बाद ही उनकी शादी करेंगे। कम से कम वे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक तो बन जाएं।

राजस्थान की धरती को बाल-विवाह के कलंक से छुटकारा दिलाएंगे। बाल-विवाह करके बच्ची को उसके मानव अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे।

पंचायत से लेकर संसद तक हर पदाधिकारी इसके लिए कोशिश करे। यह एक सामाजिक समस्या है लेकिन केवल स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जागरूकता लाने की कोशिश काफी नहीं है। इसमें सरकारी और कानूनी दबाव भी ज़रूरी है। समाज को बुराइयों से बचाना हम सबका कर्त्तव्य बनता है। इसके लिए हमारा सामाजिक ढांचा दोषी है। मगर सबसे ज़्यादा दोषी वे मां-बाप हैं जो बिना सोचे-विचारे इस प्रथा को चलाए जा रहे हैं। काफी देर हो चुकी है, अब और देर करना हमारे या देश के हित में नहीं है। □

---

## बाल-विवाह रोक अधिनियम

बाल-विवाह की बुराइयों को ध्यान में रखते हुए 1929 में इसके खिलाफ़ कानून बना जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है।

यदि 18 साल से ऊपर और 21 साल से कम उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे 15 दिन की साधारण सज़ा या एक हज़ार रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अगर पुरुष की आयु 21 साल से ज्यादा है तो कैद की मियाद तीन महीने तक हो सकती है।

जो व्यक्ति बाल-विवाह कराता है यानि पंडित या बिचौला उसे 3 माह के साधारण कारावास और जुर्माने की सज़ा हो सकती है।

अगर विवाह दो नाबालिगों का है यानि दोनों की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके माता-पिता, अभिभावक या संरक्षक को 3 माह के साधारण कारावास और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। इस अपराध के लिए किसी औरत को जेल नहीं होगी

यह काफी ताज्जुब की बात है कि इस अधिनियम में कोई सुधार नहीं किया गया है। अपराधियों के लिए सज़ा बेहद मामूली है और वह भी उन्हें अधिकतर मामलों में नहीं दी जाती है। इसका कोई डर उनके मन में हो ही नहीं सकता।

बाल-विवाह अधिनियम पर कई चर्चाएं हुई हैं। उनसे कुछ सुझाव सामने आए हैं।

शादी के पहले वर और वधू की उम्र का सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना ज़रूरी हो कि वे दोनों बालिग हैं।

जन्म-मृत्यु की तरह पंचायत या किसी और दफ्तर में विवाह का पंजीकरण किया जाए।

बाल-विवाह को कानूनी मान्यता न दी जाए।

बाल-विवाह के खिलाफ रपट पड़ौसी या महिला संगठन लिखा सकें।

□